



2026:AHC:32507

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4724 सन् 2026

राम आसरे चूंकि मृत और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : कुंदन कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस में डालकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 3-अपर आयुक्त (न्यायिक-II), प्रयागराज डिवीजन, प्रयागराज को अपील संख्या 1632 सन् 2024 में दायर बहाली आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हालांकि पहले ही काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 3 को कानून के अनुसार सख्ती से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त आवेदन पर सख्ती से निर्णय लेने का, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

फरवरी 12 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"